1248

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०– पि०व०/5/मुकदमा–33–09/2024– 80

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सारण।

पटना, दिनांक– 20/7/26

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, सारण के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियां मद में कुल राशि रू० 12,56,374/– (रू० बारह लाख छप्पन हजार तीन सौ चौहत्तर) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, सारण के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियां मद में कुल राशि रू० 12,56,374/– (रू० बारह लाख छप्पन हजार तीन सौ चौहत्तर) मात्र आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0002–छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 21.01–सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड सं०–11–2225–03–277–0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3– जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सारण इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। उप विकास आयुक्त, सारण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– आवंटित राशि का व्यय जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सारण के पत्रांक–163, दिनांक–15.05.2026 के आलोक में किया जाएगा।

5– आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6–निकासी की गई राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि व्यय होने के तत्काल पश्चात् विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा एवं राशि बैंकों में संचित नहीं की जाएगी।

7– प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8– प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है

9– इसकी जानकारी सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,
20/07/2026
(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/5/मुकदमा–33–09/2024– 80 पटना, दिनांक– 20/7/26

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) जिला पदाधिकारी, सारण/उप विकास आयुक्त, सारण/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सारण प्रमंडल, सारण/ विभागीय बजट शाखा को (सी०एफ०एम०एस० प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/07/2026
सरकार के अपर सचिव।

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment